

ग्राम पंचायत रडियाली, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन, हि०प्र० - 174101

के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत रडियाली, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री छोटू राम	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सुरजीत सिंह	01/04/2022 से 30/09/2022
2.	श्री राकेश कुमार	01/10/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत रडियाली के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अत्यधिक अन्तर पाया जाना	4.85
2.	4.2	5वां राज्य वित्तायोग व सभा निधि की रोकड़ बही में अनुचित/असमर्थित/फर्जी प्रविष्टियाँ पाया जाना	27.41
3.	4.3	रोकड़ बही में राशि को बैंक खाते में जमा करना दर्शाना पर बैंक खाते में इस प्रकार की कोई राशि का न पाया जाना	0.11
4.	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	16.64
5.	7.1	पंचायत राजस्व संपत्ति कर/गृहकर वसूली हेतु शेष पाया जाना	5.04
6.	8.1	स्व: स्रोत से प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवाये बिना ही व्यय करना	2.15
7.	8.2	सभा निधि के अंतर्गत अतिरिक्त/ अनियमित राशि का भुगतान करना	0.45
8.	8.3	सभा निधि के अंतर्गत संदिग्ध / अनियमित भुगतान करना	0.02
9.	8.4	वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के केवल चयनित माह 01/2023 व 07/2023 में रॉयल्टी से संबन्धित फार्म W या X प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को भुगतान करना	2.16
10.	8.5	वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के केवल चयनित माह 01/2023 व 07/2023 में सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	0.06
11.	8.6	विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि से सम्बन्धित अभिलेख	55.61

		प्रस्तुत न करना	
12.	8.7	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	13.99
13.	8.8	वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के केवल चयनित माह 01/2023 व 07/2023 में स्थायी व अस्थायी भण्डार को भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	9.96
14.	8.9	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	1.02
15.	8.10	मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	1.02
16.	9.1	मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को अनियमित भुगतान करना	0.59
17.	10.1	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹0.05 लाख की राजकीय कोष को राजस्व हानि बारे	0.05
18.	10.2	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को हि०प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारे	0.16

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत रडियाली, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का वर्तमान व प्रथम अंकेक्षण श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22.01.2025 से 31.01.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	05/2022	01/2023
2023-24	07/2023	07/2023

अस्वीकरण (Disclaimer): - इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/- आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 12/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अध्याचना क्रमांक 36/2024 दिनांक 02.01.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट - "क" और "ख" में भी दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत व बढी बरोटीवाला नालागढ विकास प्राधिकरण :-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	3566702.67	3376836.00	6943538.67	3950534.90	2993003.77
2023-24	2993003.77	1448058.00	4441061.77	3577076.20	863985.57

2 (क). अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23 (INCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	5972579.80	5159647.28	11132227.08	5425279.28	5706947.80
2023-24 (EXCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	2763587.00	1053472.00	3817059.00	2152882.00	1664177.00

2 (ख). अनुदान:-

ONLINE AUDIT						
अनुदान	अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 3+4)	व्यय	अन्तशेष (कालम 5-6)
1	2	3	4	5	6	7
14TH FC	2023-24	169.27	0.00	169.27	0.00	169.27
15TH FC	2023-24	2943191.53	914860.00	3858051.53	3383061.00	474990.53

कुल योग (1+2) = 863985.57+1664177.00+169.27+ 474990.53 +379.80

(नगद शेष) =3003702.17

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से
₹30,03,702.17 तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष ₹25,18,898.29 (परिशिष्ट -
"ग") से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को (₹)
1	सभा निधि / SF, 5TH SFC, CRF, 14TH FC, NRHM, SCSPSC, SBM, 13TH FC,	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक समित, नालागढ़	101334022000044	1066501.74
2	सभा निधि / SF, MPLADS, MMGPY, SDP, SCSPSC, SBM, 13TH FC, VKVNY, VMJS	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक समित, नालागढ़	101334022000135	822806.02
3	13TH FC	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक समित, नालागढ़	101334022000027	0.00
4	SBM	HDFC बैंक लिमिटेड, नालागढ़	50100218385769	1649.00
5	सभा निधि / SF,	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक समित, नालागढ़	101334022000142	80805.00
6	सभा निधि / SF, SBM,	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक समित, नालागढ़	101334029100093	1272.00
7	सभा निधि / SF,	IndusInd Bank, The Mall, Shimla	100201170974	199294.00
8	IAY, RAYEAAAY, SBM,	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक समित, नालागढ़	101334022000045	434.00
9	सभा निधि / SF, 14TH FC	HDFC बैंक लिमिटेड,	50100223868450	0.00

		नालागढ़		
10	सभा निधि / SF, 14TH FC	HDFC बैंक लिमिटेड, नालागढ़	50100223856403	399.00
11	15TH FC, सभा निधि / SF,	ICICI बैंक लिमिटेड, नालागढ़	372701000343	345737.53
जोड़ (क)				2518898.29
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-				3003702.17
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-				2518898.29
अंतर :-				484803.88

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹4.85 लाख के अत्यधिक अन्तर बारे:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4(ख) के अनुसार ₹4,84,803.88 की राशि का अन्तर पाया गया इस कारणवश यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 21 दिनांक 31.01.2025 द्वारा

उत्तर दिया गया कि इस संदर्भ में त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया जाता है कि रोकड़ बहियों का बैंक से मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 5वां राज्य वित्तायोग व सभा निधि की रोकड़ बही में राशि ₹27.41 लाख की अनुचित/असमर्थित प्रविष्टियाँ पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रता: प्रविष्टि किया जाएगा व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई रखी जाएंगी।

अंकेक्षण के दौरान 5वां वित्तायोग व सभा निधि की रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया की रोकड़ बही में राशि ₹27,41,219.00 की भुगतान प्रविष्टि दर्ज की गई थी जिसका विवरण निम्न तालिका अनुसार है जिसके समर्थन में कोई बिल/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया व बैंक पास बुक से मिलान करने पर भी इस प्रकार का कोई लेन-देन नहीं पाया गया है, जिस कारण उक्त प्रविष्टियाँ अनुचित/असमर्थित प्रतीत होती हैं।

अनुदान	रोकड़ बही वॉचर संख्या/ दिनांक	विवरण रोकड़ बही अनुसार	रोकड़ बही में व्यय में इन्द्राज की गई राशि (₹)
5 th SFC	5THSFC/2023-24/P/13 - 27.03.2024	Adjustment Vouchers	1150000.00
OWN	OWN/2023-24/P/64 - 27.03.2024	Adjustment Vouchers	1500000.00
OWN	OWN/2023-24/P/65 - 27.03.2024	Adjustment Vouchers	91219.00
कुल राशि			27,41,219.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2025/रडियाली दिनांक 30.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 22 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को त्रुटि स्वीकार करते हुये बताया कि Online cashbook में गलती से यह इंड्राज की गई है, जिसे सही करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा व भविष्य में इस प्रकार की कोई प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की जायेगी। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर 5वां वित्तायोग, सभा निधि रोकड़ बही की विस्तृत जांच की जाये व तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अनुचित एवं असमर्थित राशि की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

4.3 रोकड़ बही में ₹0.11 लाख कि राशि को बैंक खाते में जमा करना दर्शाया जाने पर बैंक खाते में इस प्रकार की कोई राशि का न पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को सम्बन्धित बैंक खातों में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18.01.2023 को एक Contra Voucher कि माध्यम से दर्शाया गया है कि ₹10,801.00 की राशि को बैंक खाते में जमा किया गया, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है, लेकिन इस दिनांक को बैंक खाते में इस प्रकार कि कोई राशि जमा नहीं की गई है, जोकि गम्भीर अनियमितता है :-

क्रम संख्या	रोकड़ बही वाउचर सं० / दिनांक	विवरण रोकड़ बही अनुसार	रोकड़ बही में इन्द्राज की गई राशि (₹)
1.	OWN/2022-23/C/1 - 18.03.2023	Cash in Hand Deposit	10801

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2025/रडियाली दिनांक 30.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 22 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि यह प्रविष्टि गलती से हुई है, जिसे सही करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही से परिहार करें।

अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये तथा उपरोक्त राशि को बैंक में जमा कर इसका इन्द्राज रोकड़ बही में करना सुनिश्चित करते हुए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ तथा कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 21 दिनांक 31.01.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि खाता बही अपूर्ण है भविष्य में नियमानुसार खाता बही का अद्यतन कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में

भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय तथा व्यय के लिये दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिये एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन-देन के लिये अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिये प्रविष्टि की जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान वर्गीकृत सार रजिस्टर के अभाव के कारण पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु -य व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बरबादी हुई है। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसका प्रतिउत्तर क्रमांक 21 दिनांक 31.01.2025 द्वारा दिया गया कि नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिये नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.6 योजनावार पृथक बैंक खाते न खोलना व एक योजना के एक से अधिक खाते खोलना: -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) के कार्यान्वयन हेतु योजनावार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के सम्बन्ध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत

पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से सम्बन्धित स्वीकृति पत्र में PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निधियों के आय व्यय हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता नहीं खोले गये हैं व कुछ योजनाओं के लिए एक से अधिक खातों का प्रयोग किया जा रहा है, जोकि अनियमित है व जिस बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

क्र० सं०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या
1	सभा निधि / SF	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	101334022000044
	5वां राज्य वित्तायोग (5 TH SFC)		
	आपदा राहत कोष CRF		
	14 वा वित्तायोग		
	नेशनल रूलर हेल्थ मिशन NRHM		
	सडयूल कास्ट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SCSPSC		
	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)		
	13 वा वित्तायोग		
2	सभा निधि / SF	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	101334022000135
	मैंबर ऑफ़ पार्लमेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADS		
	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)		
	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)		
	सडयूल कास्ट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SCSPSC		
	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)		
	13 वा वित्तायोग		
	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)		

	विकास में जन सहयोग (V.M.J.S.)		
3	13 वा वित्तायोग	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	101334022000027
4	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	HDFC बैंक लिमिटेड, नालागढ़	50100218385769
5	सभा निधि / SF	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	101334022000142
6	सभा निधि / SF	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	101334029100093
	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)		
7	सभा निधि / SF	इन्दुसिंड बैंक लिमिटेड, दी मॉल, शिमला	100201170974
8	इंदिरा आवास योजना IAY	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	101334022000045
	राजीव आवास योजना एरस्टक्वील अटल आवास योजना RAYEAAAY		
	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)		
9	14 वा वित्तायोग	HDFC बैंक लिमिटेड, नालागढ़	50100223868450
	सभा निधि / SF		
10	सभा निधि / SF	HDFC बैंक लिमिटेड, नालागढ़	50100223856403
	14 वा वित्तायोग		
11	15 वा वित्तायोग	ICICI बैंक लिमिटेड, नालागढ़	372701000343
	सभा निधि / SF		

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण उपरोक्त तालिका में वर्णित अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2025/रडियाली दिनांक 30.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 22 दिनांक 31.01.2025 द्वारा

त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार योजना वार अलग-अलग बैंक खाते खोलकर व एक योजना के लिए केवल एक ही खाते का प्रयोग किया जाये व एक से अधिक खातों को बन्द करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व समस्त अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

4.7 PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) पर नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण एवं लेखांकन न करने: -

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज (PRIASoft) लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के सम्बन्ध में जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से सम्बन्धित स्वीकृति पत्र में ई ग्राम स्वराज (PRIASoft) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान बढ़ी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण के आय व्यय का लेखांकन सभा निधि रोकड़ बही में किया जा रहा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2025/रडियाली दिनांक 30.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 22 दिनांक 31.01.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया कि भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण एवं लेखांकन कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिए आश्वासन अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों

को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्वः-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 21 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹16.64 लाख का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 02/2025 दिनांक 22.01.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि परिशिष्ट - " क " व परिशिष्ट - " ख " पर संलग्न है के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹ 16,64,177.00 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा

रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 21 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके शेष अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदनुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज विभाग हि०प्र० के पत्र सं० पी०सी० एच०-एच०, ए० (5)(सी)(15)313/88-4614-478 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व अन्य स्वीकृत एजेन्सी से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवायेगा ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित कर सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गये जिसके अभाव में अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसका प्रतिउत्तर क्रमांक 21 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदानों के आदेश व स्वीकृति पत्र विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त नहीं हुए हैं जिन्हें भविष्य में प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

6.3 अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61 (1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है एवं नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउत्तर क्रमांक 21 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदान रजिस्टर असंधारित है एवं भविष्य में अनुदान रजिस्टर को संधारित कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (**Update**) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखांकन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण को सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत राजस्व संपत्ति कर/गृहकर राशि ₹5.04 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2025/रडियाली दिनांक 22.01.2025 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 12 दिनांक 28.01.2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹100/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹5,03,910.00 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट - "घ" पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउत्तर क्रमांक 21 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर रजिस्टर को संधारित कर लिया जायेगा व 31.03.2024 के जो भी राशि वसूली हेतु शेष थी, उसे वित्त 2024-25 की गृहकर राशि के साथ वसूल करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करें एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु

नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका को संधारित कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए जाना सुनिश्चित करें।

8. व्यय

8.1 स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹2.15 लाख के व्यय करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार, पंचायत को सभी प्राप्तियों को प्रथमतः बैंक खाते में जमा तथा तदोपरान्त सभी प्रकार के भुगतान को खाते से किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड बही, बैंक पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाये बिना सीधे ही निम्न विवरण अनुसार **₹2,15,255.00** का व्यय किया गया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट " ड "** पर संलग्न है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, अपितु आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत के स्वः-स्त्रोतों की आय के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जिसमे से घर-घर कूड़ा संग्रहन संग्रहन शुल्क के रूप में विभिन्न रसीदों से प्राप्त **₹1,89,620.00** की राशि को भी बैंक में जमा नहीं किया गया है जिसका विवरण **परिशिष्ट " च "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2025/रडियाली दिनांक 29.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में क्रमांक संख्या 20 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को इस सम्बन्धित जानकारी के अभाव के कारण हुआ है व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नहीं दोहराया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.2 सभा निधि के अंतर्गत राशि ₹0.45 लाख के अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के तहत ग्राम पंचायत को निधियों के व्यय के दौरान प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययता का अनुपालन करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचरों से सम्बन्धित रोकड़ बही एवं बैंक प्रविष्टियों के अवलोकन पर राशि **₹44,937.00** का अपेक्षाकृत अतिरिक्त/अनियमित भुगतान पाया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "छ" पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 22 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस राशि अधिक भुगतान गलती से किया गया है, जिसे सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से वसूल करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा व वभिष्य में इस प्रकार की गलती को नहीं दौराया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

प्रथम दृष्ट्या उक्त अतिरिक्त/अनियमित भुगतान की गई राशि का गबन किया गया प्रतीत होता है, अतः अतिरिक्त / अनियमित किये गये भुगतान को समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त प्रकरण पंचायती राज विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि इस प्रकार के अन्य मामले होने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता जिस कारण विभागीय स्तर पर रोकड़ बहियों कि विस्तृत जाँच उपरान्त यथास्थिति लाई गई अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु लाया जाता है।

8.3 सभा निधि के अंतर्गत राशि ₹0.02 लाख के संदिग्ध / अनियमित भुगतान बारे

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के तहत ग्राम पंचायत को निधियों के व्यय के दौरान प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता का अनुपालन करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचरों से सम्बन्धित रोकड़ बही एवं बैंक प्रविष्टियों के अवलोकन पर राशि ₹2,428.00 का अपेक्षाकृत अनियमित भुगतान पाया गया जिसका ना तो बिल व न ही सम्बन्धित वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया, जिससे यह भुगतान प्रथम दृष्टि में अनियमित व संदिग्ध प्रतीत होता है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

अनुदान	रोकड़ बही वॉचर संख्या/ दिनांक	विवरण रोकड़ बही अनुसार	रोकड़ बही में इन्द्राज की गई राशि (₹)
OWN	OWN/2022-23/P/70 – 31.01.2023	Stationary Bill(paid without voucher through cash)	1170.00
OWN	OWN/2023-24/P/2 – 02.07.2023	Office Expenditure	1258.00
कुल राशि			2,428.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 22 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस राशि अधिक भुगतान गलती से किया गया है, जिसकी वसूली करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नहीं दौराया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

प्रथम दृष्ट्या उक्त अतिरिक्त/अनियमित भुगतान की गई राशि का गबन किया गया प्रतीत होता है, अतः संदिग्ध / अनियमित किये गये भुगतान को समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उक्त प्रकरण पंचायती राज

विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि इस प्रकार के अन्य मामले होने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता जिस कारण विभागीय स्तर पर रोकड़ बहियों कि विस्तृत जाँच उपरान्त यथास्थिति लाई गई अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु लाया जाता है।

8.4 वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के केवल चयनित माह 01/2023 व 07/2023 में रॉयल्टी से संबन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को ₹2.16 लाख का भुगतान:-

अवधि 04/2022 से 03/2024 के चयनित माह 03/2023 व 09/2023 में रेत, बजरी व पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु खरीद की गई निर्माण सामग्री के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'X' या 'W' प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन-(आर.डी. एवं पी.आर)-डी.बी.जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म "X"या "W" प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत रडियाली द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत,बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांज़िट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलग्न विवरण अनुसार ₹2,16,189.00 का अनियमित भुगतान किया गया। जिसका विवरण परिशिष्ट "ज" में दिया गया है

उक्त प्रकरण अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 11/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत रडियाली के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ठेकेदार /सप्लायर से रॉयल्टी की राशि अवधि 01-04-22 से 31-03-24 तक वसूली नहीं गई थी जिसे संबन्धित ठेकेदार /सप्लायर से वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस

प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि क्रय की गई रेत व बजरी से संबंधित फार्म w या x अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए अन्यथा अनियमित रूप से भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

8.5 सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.06 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Diductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के व्यय चयनित माह 01/2023 व 07/2023 के बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी., टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के चयनित माह के दौरान कुल राशि **₹2,79,352.00** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹5,587.04** की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "झ" में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउत्तर क्रमांक 21 दिनांक 31.01.2025 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी., टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायत इस त्रुटि को स्वीकार करती है। अतः अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण के दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी., टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से करने के उपरांत सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी., टी.डी.एस. से सम्बन्धित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये तथा तदनुसार कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

8.6 विभिन्न अनुदानों के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि ₹55.61 लाख से सम्बन्धित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा 15वें वित्त आयोग के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि ₹ 55,60,762.00 से सम्बन्धित प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट - " ज "** में दिया गया है परिणामस्वरूप निष्पादित निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि के अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 21 दिनांक 31.01.2025 के अन्तर्गत तथ्यों की पुष्टि उपरांत बताया गया कि विभिन्न अनुदानों के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों विकास कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत न करना ग्राम पंचायत द्वारा नियमों एवं दिशा-निर्देशों की पालना के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की सम्भावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः विभिन्न अनुदानों के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों के वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने का तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये विभागीय स्तर पर मामले को ध्यानार्थ लाकर छानबीन एवं पड़ताल उपरांत समर्थित/वांछित अभिलेख एवं भौतिक सत्यापना सहित उक्त भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.7 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹13.99 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹13,99,344.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट - "ट"** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउत्तर क्रमांक 21 दिनांक 31.01.2025 द्वारा बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में तथा कार्य की अधिकता के कारण औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया जा सका व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित करें।

8.8 स्थायी व अस्थायी भण्डार ₹9.96 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्थायी स्टॉक रजिस्टर असंधारित है जिसके अभाव में चयनित व्यय माह 01/2023 एवं 07/2023 के बिल /वाउचरों के अनुसार पंचायत द्वारा **परिशिष्ट " ठ "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹9,95,782.00** के भण्डार की स्टॉक प्रविष्टि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 21 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रतिउत्तर नियमों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है। स्टॉक रजिस्टर के अभाव में क्रय सामग्री/भंडार के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान को नियमानुसार इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.9 अग्रिम राशि ₹1.02 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और चयनित माह 01/2023 व 07/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नालागढ़ को सीमेंट के क्रय हेतु राशि **₹1,02,113.00** का अग्रिम प्रदान किया गया था, परंतु दिनांक 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " ड "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 21 दिनांक 31.01.2025 द्वारा बताया गया कि अग्रिम राशि का समायोजन शीघ्र कर लिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को संधारित कर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नालागढ़ को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.10 राशि ₹1.02 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 01/2023 व 07/2023 के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट के क्रय से सम्बन्धित मूल बिल (Original Bill) प्रस्तुत नहीं किए गये। अंकेक्षण में प्रस्तुत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नालागढ़ के Delivery/Transfer Challan के आधार पर परिशिष्ट "ड" पर संलग्न विवरणानुसार राशि ₹1,02,113.00 का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नालागढ़ को सीमेंट के क्रय हेतु किया गया जिसके बदले में समय-समय पर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग हेतु सीमेंट लिया गया। उक्त भुगतान एवं प्राप्त सीमेंट की मात्रा से सम्बन्धित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण सीमेंट की स्टॉक प्रविष्टियों एवं खपत की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 21 दिनांक 31.01.2025 द्वारा

अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नालागढ़ से मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त मामले को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर Delivery/Transfer Challan के आधार पर की गई अग्रिम भुगतान राशि की जांच पड़ताल कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं सम्बन्धित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन करने उपरांत नियमानुसार अग्रिम समायोजन लेखें सहित कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सीमेंट के क्रय हेतु अग्रिम भुगतान केवल दार्शनिक बिल (Proforma Bill) प्राप्ति के उपरांत ही किया जाये।

9.1 मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को राशि ₹0.59 लाख का अनियमित भुगतान करना

निदेशक-सह-आयुक्त (मनरेगा) ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश, के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 द्वारा जारी दिशानिर्देशों अनुसार मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु आपूर्तिकर्ता के खातों में सामग्री का भुगतान करने के बजाय, इसे व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये खरीदी गई सामग्री हेतु भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने के परिणामस्वरूप राशि ₹58,879.96 का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट " ढ " पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 21 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि इस सन्दर्भ में ग्राम रोजगार सेवक से विस्तृत चर्चा कर ली गई है व उन्होंने गलती के स्वीकार किया है व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नहीं दोहराया जायेगा। प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार सामग्री का भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति से समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये तदनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹0.05 लाख की राजकीय कोष को राजस्व हानि बारे: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या: SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200.00(APL)/₹25.00(BPL) प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400.00(APL)/₹50.00(BPL) अर्थात् दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है तथा जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070-60-108-01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से विवाह पंजीकरण शुल्क राशि ₹4,600.00 वसूली हेतु शेष है जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ण" पर संलग्न है। विवाह पंजीकरण शुल्क की नियमानुसार वसूली न करने के कारण राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी

अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर 18 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त नहीं किया गया तथा उक्त राशि को पंचायत द्वारा आवेदनकर्ताओं से प्राप्त करके सभा निधि खाता में जमा करवा कर तदोपरान्त सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली नियमित रूप से प्राप्त करके तदोपरान्त सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.16 लाख को हि०प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारे: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या: SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070-60-108-01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि ₹ 16,050.00 को राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस कारण हि०प्र० राजकीय कोष को सम्भावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर 18 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्ट्रों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है जिस कारण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों एवं तथ्यों की सत्यता, पुष्टि एवं प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सका।

(क) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 अनुसार

क्र० सं०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	लेखा खाता	29(1)	07
4.	वर्गीकृत संक्षिप्त सार	29(4)	08
5.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
8.	वेतन जांच रजिस्टर	58	18
9.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20
10.	स्टाम्प रजिस्टर	61 (2)	24

11.	लेखन सामग्री रजिस्टर	72 (1)	28
12.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30
13.	तकनीकी जाँच पड़तालें और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) 1997 अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	स्टाई स्टॉक रजिस्टर	34	01
2.	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	34	02
3.	स्टॉक सामग्री रजिस्टर	35	06
4.	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर	35	07
5.	सहायता अनुदान रजिस्टर	34	08
6.	कर रजिस्टर	34	16
7.	विकास कार्यों का लेखा जोखा	18(3), 27(3), 97(5) व 115(5)	34

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2025/रडियाली दिनांक 27.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16 दिनांक 30.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्ट्रों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्ट्रों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/रडियाली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 21 दिनांक 31.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर तर्कसंगत न होने के दृष्टिगत गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ख) PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में क्रियान्वयन बारे नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण

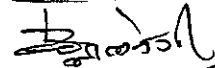
PRIASoft लेखा प्रणाली में लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

- (ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA Act 2005) एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) और हि०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा वर्णित नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

7 4 MAR 2025

का०/प्र०

1785-1789


(कृष्ण लाल नेगी) 24.3.25
सहायक निदेशक

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2626670

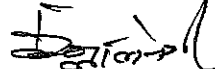
पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल०ए०) एच (पंच) 15 (4) 66/2025 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हि०प्र०।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन हि०प्र०।
- पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत रडियाली, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 4 MAR 2025

का०/प्र०


(कृष्ण लाल नेगी) 24.3.25
सहायक निदेशक

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2626670

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP RADIYALI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES, BBND

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	3566702.67	3376836.00	6943538.67	3950534.90	2993003.77
2023-24	2993003.77	1448058.00	4441061.77	3577076.20	863985.57

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23 (INCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	5972579.80	5159647.28	11132227.08	5425279.28	5706947.80
2023-24 (EXCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	2763587.00	1053472.00	3817059.00	2152882.00	1664177.00

ONLINE AUDIT

GRANTS-IN AID	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
14TH FC	2023-24	169.27	0.00	169.27	0.00	169.27
15TH FC	2023-24	2943191.53	914860.00	3858051.53	3383061.00	474990.53

36

[Signature]

RADIYALI

Rakesh Kumar

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP RADIYALI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH SFC	2022-23	620047.00	842647.00	1462694.00	314750.00	1147944.00
		2023-24	1147944.00	396200.00	1544144.00	1462300.00	81844.00
2	VKVNY	2022-23	434661.00	0.00	434661.00	0.00	434661.00
		2023-24	434661.00	300000.00	734661.00	333310.00	401351.00
3	SBM	2022-23	517505.00	0.00	517505.00	204848.00	312657.00
		2023-24	312657.00	0.00	312657.00	0.00	312657.00
4	MPLADS	2022-23	4416.50	0.00	4416.50	0.00	4416.50
		2023-24	4416.50	0.00	4416.50	0.00	4416.50
5	RAYEAAAY	2022-23	64901.00	0.00	64901.00	0.00	64901.00
		2023-24	64901.00	0.00	64901.00	0.00	64901.00
6	IAY	2022-23	8599.00	0.00	8599.00	0.00	8599.00
		2023-24	8599.00	0.00	8599.00	0.00	8599.00
7	SDP	2022-23	790408.50	0.00	790408.50	0.00	790408.50
		2023-24	790408.50	0.00	790408.50	0.00	790408.50
8	MNREGA	2022-23	0.00	678027.28	678027.28	678027.28	0.00
		2023-24	0.00	357272.00	357272.00	357272.00	0.00
9	14TH FC	2022-23	552860.27	18971.00	571831.27	571662.00	169.27
10	15TH FC	2022-23	2979181.53	3620002.00	6599183.53	3655992.00	2943191.53

ONLINE AUDIT 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	14TH FC	2023-24	169.27	0.00	169.27	0.00	169.27
2	15TH FC	2023-24	2943191.53	914860.00	3858051.53	3383061.00	474990.53

37

[Signature]

RADIYALI

Rakesh Kumar

कार्यालय ग्राम पंचायत रडियाली, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन, हि०प्र०, पिन-174101

बैंक व रोकड़ बही अंतर

ग्राम पंचायत रडियाली के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष:-

क्र० सं०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि / SF, 5TH SFC, CRF, 14TH FC, NRHM, SCSPSC, SBM, 13TH FC,	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	101334022000044	1066501.74
2	सभा निधि / SF, MPLADS, MMGPY, SDP, SCSPSC, SBM, 13TH FC, VKVNY, VMJS	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	101334022000135	822806.02
3	13TH FC	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	101334022000027	0.00
4	SBM	HDFC बैंक लिमिटेड, नालागढ़	50100218385769	1649.00
5	सभा निधि / SF,	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	101334022000142	80805.00
6	सभा निधि / SF, SBM,	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	101334029100093	1272.00
7	सभा निधि / SF,	Indusind Bank, The Mall, Shimla	100201170974	199294.00
8	IAV, RAYEAAV, SBM,	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	101334022000045	434.00
9	सभा निधि / SF, 14TH FC	HDFC बैंक लिमिटेड, नालागढ़	50100223868450	0.00
10	सभा निधि / SF, 14TH FC	HDFC बैंक लिमिटेड, नालागढ़	50100223856403	399.00
11	15TH FC, सभा निधि / SF,	ICICI बैंक लिमिटेड, नालागढ़	372701000343	345737.53
जोड़ (क)				2518898.29
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-				3003702.17
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-				2518898.29
अंतर :-				484803.88

38

RAOYALI

Rakesh Kumar

परिशिष्ट " घा ", पैरा संख्या " ७.१ " के सन्दर्भ में

कार्यालय ग्राम पंचायत रडियाली, वि० ख० नालागढ़, जिला सोलन, हि० प्र० - 174101

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर / गृहकर :-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 952 का ₹ 100.00 तथा 2023-24 में 1054 परिवारों का ₹ 100.00 प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से :-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 3,16,010.00	952	₹ 100.00	₹ 95,200.00	₹ 4,11,210.00	₹ 7300.00	₹ 4,03,910.00
2023-24	₹ 4,03,910.00	1054	₹ 100.00	₹ 1,05,400.00	₹ 5,09,310.00	₹ 5400.00	₹ 5,03,910.00
नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि ₹5,03,910/- है।							


साथ
ग्राम पंचायत RADIYALI
वि.ख. नालागढ़, सोलन हि.प्र.
Rakesh Kumar

परिशिष्ट " ३ ", पैरा संख्या " ४.१ " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत रडियाली द्वारा स्वतः स्रोत से प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹ 2.15 लाख के व्यय करने का विवरण

क्रम स.	वाउचर संख्या	दिनांक	रोकड़ व्यय जो बैंक के माध्यम से नहीं किया गया	राशि (₹)
1	OWN/2022-23/P/17	21.06.2022	Pay Bill Stationary	2670
2	OWN/2022-23/P/36	08.09.2022	Pay Vr. No. 47	2880
3	OWN/2022-23/P/53	15.11.2022	Office Expenditure	1156
4	OWN/2022-23/P/62	27.12.2022	Office Expenditure	1670
5	OWN/2022-23/P/69	30.01.2023	Stationary Bill	1170
6	OWN/2022-23/P/70	31.01.2023	Stationary Bill	1279
7	OWN/2022-23/P/73	14.02.2023	Sair Mela arki	1000
8	OWN/2022-23/P/76	14.02.2023	Gram Shabha jalpaan	325
9	OWN/2022-23/P/79	22.02.2023	Gram Shabha jalpaan	1400
10	OWN/2022-23/P/82	04.03.2023	CO samudyik kender ghanshot preetnagar stock cement	3313
11	OWN/2022-23/P/83	04.03.2023	Bhatta chokidar	300
12	OWN/2022-23/P/88	29.03.2023	Gram Jalpaan	1000
13	OWN/2023-24/P/10	02.07.2023	Collection Garbage Door to Door	26600
14	OWN/2023-24/P/11	02.07.2023	Office Expenditure	400
15	OWN/2023-24/P/2	02.07.2023	Office Expenditure	1258
16	OWN/2023-24/P/19	12.07.2023	Pait Panchayat	11200
17	OWN/2023-24/P/20	12.07.2023	CO Samudyik Vhawan CSC Panchayat Ghar	10665
18	OWN/2023-24/P/26	11.08.2023	Garbage collection	45000
19	OWN/2023-24/P/29	12.08.2023	Garbage collection	22500
20	OWN/2023-24/P/32	16.08.2023	Garbage collection	22500
21	OWN/2023-24/P/33	19.08.2023	Office Expenditure	1050
22	OWN/2023-24/P/35	25.08.2023	Office Expenditure	1504
23	OWN/2023-24/P/38	23.10.2023	Garbage collection	44430
24	OWN/2023-24/P/42	03.11.2023	Office Expenditure	1665
25	OWN/2023-24/P/48	27.12.2023	Gram Shabha Jalpaan	1780
26	OWN/2023-24/P/54	25.01.2024	Stationary Bill	1750
27	OWN/2023-24/P/61	08.03.2024	Office Expenditure	2550
28	OWN/2023-24/P/63	27.03.2024	Mahila Gram Sabha	2240
कुल योग				215255



सचिव
ग्राम पंचायत रडियाली
वि.स. नाल्हाद, सोडन डि.
रावेडा क्रमांक

परिशिष्ट " ८ " , पैरा संख्या " ४.१ " के सन्दर्भ में

कार्यालय ग्राम पंचायत रडियाली, वि० ख० नालागढ़, जिला सोलन, हि० प्र० - 174101

ग्राम पंचायत रडियाली द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में घर घर कूड़ा संग्रहन शुल्क के वसूली से प्राप्त ₹ 1.90 लाख की राशि का विवरण जिसे बैंक में जमा नहीं किया गया है

क्र० सं०	रसीद बही	रसीद संख्या	दिनांक	कुल	प्राप्ति राशि	टिप्पणी
1	84601-84700	84601-84616	05.05.2023	3500	3500	बैंक में प्राप्ति दर्ज नहीं की गई है
		84617-84657	08.05.2023	11250	11250	
		84658-84663	15.05.2023	500	500	
		84664-84671	16.05.2023	750	750	
		84672-84673	18.05.2023	1100	1100	
		84674-84677	19.05.2023	300	300	
		84678-84694	23.05.2023	1100	1100	
		84695-84700	25.05.2023	450	450	
2	84701-84800	84701-84705	13.06.2023	300	300	बैंक में प्राप्ति दर्ज नहीं की गई है
		84706-84800	28.06.2023	10600	10600	
3	132801-132900	132801-132888	20.06.2023	12050	12050	बैंक में प्राप्ति दर्ज नहीं की गई है
		132889-132900	13.07.2023	600	600	
4	82401-82500	82401-82413	08.07.2023	2500	2500	बैंक में प्राप्ति दर्ज नहीं की गई है
		82414-82459	11.07.2023	7050	7050	
		82460-82500	12.07.2023	6950	6950	
5	122701-122800	122701-122759	19.07.2023	9000	9000	बैंक में प्राप्ति दर्ज नहीं की गई है
		122762-122764	10.08.2023	450	450	
		122768-122779	10.08.2023	1700	1700	
		122782	10.08.2023	200	200	
		122791-122792	19.08.2023	200	200	
6	124401-124500	124401-124423	13.07.2023	3350	3350	बैंक में प्राप्ति दर्ज नहीं की गई है
		124424-12460	14.07.2023	4450	4450	
		124461-124474	16.07.2023	1550	1550	
		124475-124480	19.07.2023	500	500	
		124481-124490	20.07.2023	1350	1350	
		124491-124494	28.07.2023	1100	1100	
		124495	30.07.2023	200	200	
7	133601-133700	133601-133669	14.08.2023	10300	10300	बैंक में प्राप्ति दर्ज नहीं की गई है
		133670-133700	15.08.2023	3550	3550	
8	084501-84600	084501-084529	26.08.2023	2400	2400	बैंक में प्राप्ति दर्ज नहीं की गई है
		084530-084540	27.08.2023	1100	1100	
		084541-084554	28.08.2023	1750	1750	
		084555-084579	29.08.2023	1950	1950	
		084580-084583	30.08.2023	300	300	
		084584-084586	02.09.2023	200	200	

५१




 सचिव
 ग्राम पंचायत... RADIALY
 वि.ख. नालागढ़, सोलन हि.
 Rajesh Kumar

9	133701-133800	133701-133723	15.08.2023	2650	2650	बैंक में प्राप्ति दर्ज नहीं की गई है
		133724-133728	17.08.2023	600	600	
		133729-133779	18.08.2023	5050	5050	
		133780-133800	19.08.2023	2600	2600	
10	133801-133900	133801-133819	19.08.2023	2050	2050	बैंक में प्राप्ति दर्ज नहीं की गई है
		133820-133828	20.08.2023	800	800	
		133829-133845	21.08.2023	1700	1700	
		133846-133853	24.08.2023	700	700	
		133854-133874	25.08.2023	2300	2300	
		133875-133900	26.08.2023	2650	2650	
11	132962-132937	132901-132937	17.07.2023	6800	6800	बैंक में प्राप्ति दर्ज नहीं की गई है
		132938-133000	13.08.2023	7160	7160	
12	133501-133600	133501-133545	10.08.2023	4850	4850	बैंक में प्राप्ति दर्ज नहीं की गई है
		133546-133600	12.08.2023	4910	4910	
13	132701-132800	132701-132706	11.07.2020	2950	2950	बैंक में प्राप्ति दर्ज नहीं की गई है
		132709-132720	11.07.2023	5000	5000	
		132722-132739	11.07.2023	2200	2200	
		132743-132800	15.07.2023	7850	7850	
14	132601-132700	132601-132645	25.05.2023	6650	6650	बैंक में प्राप्ति दर्ज नहीं की गई है
		132646-132654	13.06.2023	6750	6750	
		132655-132666	19.06.2023	2150	2150	
		132667-132693	21.06.2023	4600	4600	
		132694-132700	23.06.2023	2050	2050	
कुल राशि				189620	189620	

Rakesh Kumar

RAOYAL

Rakesh Kumar

42

116

परिशिष्ट " ई " पैरा संख्या " 8.2 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत सड़ियाली द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के वयनित माह 01/2023 व 07/2023 के बोडचरों में ₹ 0.45 लाख राशि के अनियमित भूतलान की सूचि

क्र०	शीर्ष	वॉ सं० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	विल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	भूतलान हेतु स्वीकृत राशि	भूतलान की गई राशि	भूतलान योग्य राशि/अधिक भूतलान	अनियमित व अधिक भूतलान
1	OWN	OWN/2022- 23/P/66 - 18.01.2023	Thakur Tiles Ind. Thakur Tiles Ind.	474 / 05.10.2022 595 / 05.10.2022	Interlock tiles 60mm Interlock tiles 60mm	5000 2460	12 12	70800 34000	115600	104800	10800
2	OWN	OWN/2023- 24/P/04- 02.07.2023	Hitesh Thakur Govt. Cont. M/ROLL NO. 0035397	224-05.03.2023 01.04.2023 - 30.04.2023	Sand Bajari	250 ft 500 ft	30 30	23625 82616	139678	106241	33437
3	OWN	OWN/2023-24/P/08- 02.07.2023	MUSTER ROLL NO. 0035399 BAJLEET SINGH SWEET SHOP SAINI ADVERTISING AGENCY SK ADVERTISING AGENCY	01.05.2023-30.05.2023 04-24.03.2023 07-10.04.2023 869-04.04.2023	2 tea cup samosha Barti TENDER NOTICE TENDER NOTICE	 220 440 10 1 1	 10 10 440 3000 3000	14700 11000 3000 2500	31900 31200	700	44937

अनियमित भूतलान की गई कुल राशि

सचिव
ग्राम पंचायत सड़ियाली
प.स. सड़ियाली, सोनत हि.म.
Ballesh Kauran

W3

-44-

परिशिष्ट " ज " पैरा संख्या " 8.4 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत रडियाली द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 01/2023 व 07/2023 में आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म इन्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशी ₹ 02.16 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद् का नाम	मात्रा	Deno	दर	कुल राशि	ट्रांजिट पास में अंकित बस्तु का भार (टन)
	अनुदान शीर्ष : OWN & 15 TH FC								
1	Hitesh Thakur Govt. Cont.	OWN/2022-23/P/66	208 - 15.12.2022	Bharan	800	CFT	12	10800	उपलब्ध नहीं है
2	Hitesh Thakur Govt. Cont.	OWN/2022-23/P/66 -18.01.2023	202 - 05.10.2022	Sand Bajri Gaika	590 1120 340	CFT CFT CFT	30 30 25	62790	उपलब्ध नहीं है
3	Hitesh Thakur Govt. Cont.	XVFC/2022-23/P/141 -13/01/2023	211-15.12.2022	Bharan	4000	CFT	12	50400	उपलब्ध नहीं है
4	Hitesh Thakur Govt. Cont.	XVFC/2022-23/P/142 -13/01/2023	212-15.12.2022	Bajri	700	CFT	30	22050	उपलब्ध नहीं है
5	Hitesh Thakur Govt. Cont.	OWN/2023-24/P/04- 02.07.2023	224-05.03.2023	Sand Bajri	250 500	CFT CFT	30 30	23625	उपलब्ध नहीं है
6	Hitesh Thakur Govt. Cont.	OWN/2023-24/P/22- 12.07.2023	240-02.05.2023 239-02.05.2023	Sand Sand Bajri	560 650 100	CFT CFT CFT	28.58 30 30	16804 29720	उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है
कुल राशि									216189

- 148 44

20/07/23

20/07/23

20/07/23

श्री "पैरा संख्या" 8.5

ग्राम पंचायत रडियाली द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के व्ययजित माह 07/2023 व 01/2024 विभिन्न अनुदानों के जोड़घरों में सोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.06 लाख की वसूली न करने की सूची

क्र.सं	शीर्ष	काम का नाम	आरंभित दिनांक	आपूर्तिकर्ता	विलेय सं. / दिनांक	मद का नाम मात्रा	संख्या	दर	व्यय राशी	कटौती की दर	स्रोत पर कर की राशी (₹)
1	15TH FC	नि सीवरेज गली नवदीक संतोख सिंह चुड़वाल	XVFC/2023-24/P/57-07/01/2024	Hitesh Thakur Govt. Cont.	264-01.11.2023	ICB Work	16	800	28556	2%	571.12
2	15TH FC	नि सीवरेज राकेश के घर से पंडु के घर तक चुड़वाल	XVFC/2023-24/P/58-11/01/2024	Hitesh Thakur Govt. Cont.	265-01.11.2023	Carriage of Cutting	950	12	7560	2%	151.20
3	15TH FC	नि सीवरेज गली नवदीक संतोख सिंह चुड़वाल	XVFC/2023-24/P/59-11/01/2024	Hitesh Thakur Govt. Cont.	267-05.11.2023	Sand	85	30	7560	2%	151.20
4	15TH FC	नि ड्रेन व गली वृत्ता के घर से रणजीत के घर तक आदर्श कॉलोनी दातोवाल	XVFC/2023-24/P/55-19/01/2024	Hitesh Thakur Govt. Cont.	268-05.11.2023	Bayri	155	30	17325	2%	346.50
5	15TH FC	नि ड्रेन व सड़क प्रिटु के घर से राजन गुप्ता के घर तक	XVFC/2023-24/P/66-19/01/2024	Hitesh Thakur Govt. Cont.	270-05.11.2023	Gatka	500	25	17325	2%	346.50
6	OWN	नि. सामुदायिक केन्द्र परीतनगर घनसेत नि. सामुदायिक केन्द्र परीतनगर घनसेत नि. सामुदायिक केन्द्र परीतनगर घनसेत	OWN/2023-24/P/04-02.07.2023 OWN/2023-24/P/22-12.07.2023	Hitesh Thakur Govt. Cont.	224-05.03.2023 240-02.05.2023 239-02.05.2023	Sand Dust	200	20	42000	2%	840.00
						Sand	400	30	42000	2%	840.00
						Bayari	600	30	42000	2%	840.00
						Gatka	400	25	42000	2%	840.00
						Sand	700	30	64050	2%	1281.00
						Bayari	500	30	64050	2%	1281.00
						Gatka	1000	25	64050	2%	1281.00
						Sand	250 ft	30	23625	2%	472.50
						Bayari	500 ft	30	23625	2%	472.50
						Sand	560	28.58	16804	2%	336.08
						Sand	650	30	19500	2%	390.00
						Bayri	100	30	3000	2%	60.00
						Ghatka	230	25	5750	2%	115.00
						Mixture	20	500	10000	2%	2000.00
						Water Tanki rent	20	500	10000	2%	2000.00
						Satring 50 rate rent 10/-	20 days	500	10000	2%	2000.00
						Bail 50 rent 2p 100	9 days	100	9000	2%	180.00

कुल राशी
5587.04

0202441

1947

दि. २७/१०/२०१८

Daksh Jain

परिशिष्ट " २८ " पैरा संख्या " ४.६ " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत रहियाली द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 03/2023 व 01/2023 का वामन अयुक्त फंड प्रस्ताव न करने की सूचि स्वीकृति / कार्य आदेश फंड ट्रान्सफर ऑर्डर व मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने की सूचि

क्र.सं.	शेष	कार्य का नाम	प्रारम्भिक तिथि	समाप्ति तिथि	वर्ष	तकनीकी स्वीकृति सं./दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति सं./दिनांक	स्वीकृत राशि	कुल व्यय राशि	माप पुरस्कार / पुर संख्या	कार्य स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	कार्य 13C/कर्म 35	कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र	उपयुक्तता प्रमाण-पत्र
1	BANDA	नि. रिक रोड मेन रोड रंग शहर से गुगा हाउस तक	500000	2022-23	15/2022-23	BDO/NLG/IE-2021-22, 1188-15-07/2022	500000	490000	15953/3-38	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
2	DO	नि. कॉमन सर्विस सेक्टर पंचायत घर सड़ियाली	500000	2022-23	उपलब्ध नहीं है	BDO/NLG/IE-2019-20, 5603-06-12/2019	201400	201400	15944/15-16	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
3	BANDA	नि. पार्क दूतीवाल नवदीक पंचायत घर, भादसरी	201400	2019-20	201400	BDO/NLG/IE-2019-20, 3510-23-10/2021	200000	200000	15944/17	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
4	MLA	नि. पंचक्रा पार्क ग्रुपिंग से लेकर दुसमुख के घर तक सड़ियाली	800000	2022-23	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	800000	784000	3322/53	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
5	OWN	नि. समुदायिक भवन परी नगर नसील	300000	2020-21	उपलब्ध नहीं है	660521/19/2020-21	300000	300000	15924/31	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
6	15TH FC	नि. कार्य क्षेत्र भवन दूतीवाल नवदीक पंचायत घर	184756	2020-21	उपलब्ध है	उपलब्ध नहीं है	184756	184756	उपलब्ध नहीं है	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
7	15TH FC	केज 2	500000	2020-21	उपलब्ध नहीं है	66447837/2020-21	500000	500000	15924/38-43	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
8	15TH FC	शेष कार्य सामुदायिक भवन पंचायत घर सड़ियाली	52000	2022-23	उपलब्ध नहीं है	56578290/2022-23	100000	51365	15924/25	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
9	15TH FC	नि. सीवेज व गरी सार्वजनिक स्थान से मेन रोड तक सड़ियाली	200000	2022-23	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	200000	200000	15924/26-27	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
10	15TH FC	नि. गरी नवदीक शिव मंदिर चुड़वाल	300000	2020-21	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	300000	300000	15924/28-29	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
11	15TH FC	नि. सीवेज गरी नवदीक सतोख सिंह चुड़वाल	385000	2020-21	उपलब्ध नहीं है	693507/19/2021-22	385000	385000	15924/61-65	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
12	15TH FC	नि. बाडोड़ी वाल निय अगन पंचायत घर सड़ियाली	214484	2020-21	उपलब्ध नहीं है	664419/47/2020-21	214484	214484	15924/82	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
13	15TH FC	नि. सीवेज राकेश के घर से पांडु के घर तक चुड़वाल	350000	2023-24	उपलब्ध नहीं है	691750/46/2023-24	350000	350000	15924/56-60	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
14	15TH FC	नि. डूब व गरी तुगा के घर से राणबीत के घर तक आदर्श कॉलेजी सतोख	200000	2021-22	उपलब्ध नहीं है	4976519/2021-22	200000	200000	15924/73-79	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
15	15TH FC	नि. डूब व सड़क भिनु के घर से राजन गुप्ता के घर तक	500000	2021-22	उपलब्ध नहीं है	49766517/2021-22	500000	500000	15924/66-72	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
16	SBM	नि. सामुदायिक शौचालय पंचायत घर सड़ियाली	200000	2021-22	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	200000	200000	उपलब्ध नहीं है	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

Elkeekkan

परिशिष्ट " E " , पैरा संख्या " 8.7 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत सहितगरी द्वारा माह 01/2023 सभी भग्नावशेषों में व 07/2023 के दौरान 15 वीं अयोग के अविरत औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना कर किये गये सामग्री/स्टॉक ₹ 13.99 लाख की सूची

क्र.सं.	सौर	काम का विवरण	वॉ सं ० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	विल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि	भुगतान की गई राशि	टिप्पणी
1	OWN	Gram Sabha Jajpagan dt. 11/10/2022	OWN/2022-23/P/65- 05.01.2023	Barjeet Singh Sweet shop	15 / 11.10.2022 (cash memo)	चाय, सब्जी, स्लाब, डिमोसल का व वोट	260, 520, 10 Kg, 260 pic	10.15, 180.2	12728	12728	निविदाएं प्रस्तुत नहीं की गईं
		फि रिक रोड में रोड काम शहर से गुला शहर तक	OWN/2022-23/P/66- 18.01.2023	Thakur Tiles Ind. Thakur Tiles Ind.	474 / 05.10.2022 595 / 05.10.2022	Interlock tiles 600mm	5000 2460	12 12	70800 34833	70800	निविदाएं प्रस्तुत नहीं की गईं
		फि कॉमन सर्विस रोड पर सड़ियाली	OWN/2022-23/P/66- 18.01.2023	Arhant Trading Company	ATC/1225-18.11.2022 ATC/1235-22.11.2022	TMT Bar 10mm	732.8	62.54	46036	46036	निविदाएं प्रस्तुत नहीं की गईं
2	OWN	फि प्रार्क दूरीवाल नवदीक पंचायत पर, प्राइमरी स्कूल	OWN/2022-23/P/65- 18.01.2023	Hitesh Thakur Govt. Cont.	208 - 15.12.2022	Bhavan	800	12	10800	10800	निविदाएं प्रस्तुत नहीं की गईं
		फि प्रकाश पाठ दूक सुप्लाय से लेकर सुप्लाय के पर तक सड़ियाली	OWN/2022-23/P/65- 18.01.2023	Hitesh Thakur Govt. Cont.	202 - 05.10.2022	Sant Bajra Galika	590 1120 340	30 30 25	62790	57690	निविदाएं प्रस्तुत नहीं की गईं
3	OWN	फि समुदाईक भवन परीत नगर नजीब	OWN/2022-23/P/67- 18.01.2023	Total InSand Dastnah Solution	83 - 10.12.2022	13.45 Hrs	800		12980	12980	निविदाएं प्रस्तुत नहीं की गईं
4	15TH	शेष कार्य सामुदायिक भवन पंचायत पर सड़ियाली	XVFC/2022-23/P/141- 13/01/2023 XVFC/2022-23/P/142- 13/01/2023 XVFC/2022-23/P/143- 13/01/2023	Hitesh Thakur Govt. Cont. Hitesh Thakur Govt. Cont. GURU NANAK TIMBERS	211-15.12.2022 212-15.12.2022 54-08.01.2023	Bhavan Bajra Shutting work done with mather include mather garden and steel bales	4000 700 930 Sq Ft	12 30 40	50400 22050 43896	50400 22050	निविदाएं प्रस्तुत नहीं की गईं
5	15TH FC	फि कार्य खेल मैदान दूरीवाल नवदीक पंचायत पर	XVFC/2022-23/P/144- 13/01/2023	Total InSand Dastnah Solution	82-10.12.2022	JCB TIMING 19 HRS	19	800	17936	17936	निविदाएं प्रस्तुत नहीं की गईं
6	15TH FC	शेष कार्य सामुदायिक भवन पंचायत पर सड़ियाली	XVFC/2022-23/P/145- 13/01/2023	GURU NANAK TIMBERS	54-08.01.2023	Shutting work done with mather include mather garden and steel bales	930	40	43896	43896	निविदाएं प्रस्तुत नहीं की गईं
7	15TH FC	फि सीवेज व गली सर्विस स्टेज से मेन रोड तक सड़ियाली	XVFC/2022-23/P/148- 20/01/2023	Thakur Tiles Ind.	594-15.10.2022	Interlock tiles 600mm	1000	14	16520	16520	निविदाएं प्रस्तुत नहीं की गईं
8	15TH FC	फि गली नवदीक शिव मंदिर बूडवाल	XVFC/2022-23/P/150- 20/01/2023	Thakur Tiles Ind.	593-15.10.2022	Interlock tiles 600mm	1000	14	16520	16520	निविदाएं प्रस्तुत नहीं की गईं
9	15TH FC	शेष कार्य सामुदायिक भवन पंचायत पर सड़ियाली	XVFC/2022-23/P/152- 28/01/2023	GURDUTT WELDING CONTRACTOR	52-23.01.2023	Labour charge for window door ventilation	980	25	28910	28910	निविदाएं प्रस्तुत नहीं की गईं
10	15TH FC	फि कार्य खेल मैदान दूरीवाल नवदीक पंचायत पर	XVFC/2022-23/P/153- 28/01/2023	Total InSand Dastnah Solution	217-05.01.2023	JCB TIMING 20 HRS	20	800	18880	18880	निविदाएं प्रस्तुत नहीं की गईं



सचिव
ग्राम पंचायत, राजपुरा
जिला, जारखण्ड, राँची
Rajpura

24	OWN	CSC केन्द्र रडीयाली DPO	OWN/2023-24/P/17-12.07.2023	GURU NANAK TIMBER	559-02.06.2023	Windows includes jali mirror wood handle hook	11	400	43424	43424	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
						Door includes all accessories	1	500			
					560-03.06.2023	Windows includes jali mirror wood handle hook	11	400	49914	49914	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
						fixed mirror with moulding & labour	36	150			
					56-05.05.2023	SHED CHOCKET DOOR WITH FITTING	1	8000	9440	9440	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
					66901-08.06.2023	CEMENT	250	340.29	85072	85072	बिना मूल बिल के भुगतान करना व छ: महीने के उपरान्त बिलका समायोजन नहीं किया गया है
					411-04.04.2023	Tmt Bar 12 MM	352	59	109660	109660	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
						Tmt Bar 10 MM	902.3	61			
						Tmt Bar 8 MM	276.2	62			
					05-07.06.2023	ALLUMINIUM DOOR WITH FRAME	2	4800	11328	11328	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
25	OWN	राज रोगन पंचायत घर रडीयाली	OWN/2023-24/P/19-12.07.2023	BALWANT PAINTERS	39-22.06.2023	WRITING and Painting Name Board	60	170	10200	10200	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई, व बिना GST बिल के भुगतान करना
						Cement	250	25	6250	6250	बिना मूल बिल के भुगतान करना व छ: महीने के उपरान्त बिलका समायोजन नहीं किया गया है
						Rim A4	4	250			
						Pen	10	10			
						photo state	50	2			
					12-18.06.2023	Pin box	3	15	1715	1715	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई, व बिना GST बिल के भुगतान करना
						Litter	2	30			
						Gum	2	50			
						Inkjet id paper	1	350			
					445-21.04.2023	SAWCHATA BOARD	1	2700	2700	2700	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई, व बिना GST बिल के भुगतान करना
26	OWN	राज रोगन पंचायत घर रडीयाली	OWN/2023-24/P/20-12.07.2023	Shiva book depot		Paint Pattig	4	10			
						Regman PC	12	5			
						Red oxide	1	180			
						Paint Red oxide 500	1	100			
						Black Pint	1	350			
						Paint black 500	1	200			
						Tarpan Oil Bottle	1	350			
						Paint Brush 5"	3	150			
						Paint Brush 3"	3	70			
					46674-06.06.2023	Paint roller 8"	2	150			
27	OWN	कार्यालय दया	OWN/2023-24/P/22-12.07.2023	RAJHANI ELECTRICS HARDWARE STORE		Rehmar cloth mitr	15	20			
						Distamber 20 KG	2	950			
						Fast Yellow Staner	2	180			
						Fast Blue	2	200			
						Wall putty Bag	4	650			
						Paint Patti B	10	20			
						Paint Patti 4	15	10			
						Water Paper	60	10			
						Regmar Cloth	2	35			
					10089				10089	10089	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
28	OWN	राज रोगन पंचायत घर रडीयाली	OWN/2023-24/P/22-12.07.2023	RAJHANI ELECTRICS HARDWARE STORE		Paint roller 8"	2	150			
						Rehmar cloth mitr	15	20			
						Distamber 20 KG	2	950			
						Fast Yellow Staner	2	180			
						Fast Blue	2	200			
						Wall putty Bag	4	650			
						Paint Patti B	10	20			
						Paint Patti 4	15	10			
						Water Paper	60	10			
						Regmar Cloth	2	35			

Signature: RAJHANI
RAJHANI KUMAR

29	OWN	राजीव पंचवत रा. रवीवली	OWN/2023-24/F/22-12.07.2023	RAJHANI ELECTRICS HARDWARE STORE	46710-08-06-2023	Paint Red oxide 500 Paint black 500 Wall Putty Bag Water Paper Paint brown Tarpin Oil Bottle POP Distemper 20 KG ACE plastic Paint Aluminium Paint Red Oxide Red Stainer Yellow stainer Bagmat cloth mtr Tractor pin West coupling Fan rod LED Bulb 30wat PVC Tape	1 1 17 30 2 2 6 6 2 2 3 8 4 1 4 1 12 9 2	100 150 650 5 1250 350 20 950 3600 450 180 100 180 40 10 90 50 400 25	41359	41359 निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई	
									कुल राशि	1388344	




 राजेश कुमार
 RAJESH KUMAR
 RAJESH KUMAR

परिशिष्ट " 5 " पैरा संख्या " 8.8 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत रक्षियाली द्वारा विन वर्ष 2022-23 व 2023-24 के पत्राचार माफ 01/2023 के सभी अनुदानों व 07/2023 में 15 वीं चिस आयोग के अतिरिक्त सभी अनुदानों में क्रम क्रिये गये ₹ 9.96 लाख की सामग्री की सूची, जिसका स्टोक रजिस्टर में लेखांकन नही किया गया है

क्र.सं	शीर्ष	काम का विवरण	चौ सं / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	विल सं/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि	भुगतान की गई राशि
1	OWN	नि. रिक रोड में रोड साम खर से गुना करवा तक	OWN/2022-23/7/66 - 18.01.2023	Thakur Tiles Ind.	474/05.10.2022	Interlock tiles 60mm	5000	12	70800	70800
		नि. कर्मन रोड से रोड रोड पर रक्षियाली	OWN/2022-23/7/66 - 18.01.2023	Thakur Tiles Ind.	595/05.10.2022	Interlock tiles 60mm	2460	12	34833	34000
		नि. पकट दलोल नवदीक फायात पर, ग्रामही स्कूल	OWN/2022-23/7/66 - 18.01.2023	Arhant Trading Company	ATC/11/25 - 18.11.2022	TMT Bar 10mm	732.8	62.54	46036	46036
		नि. पकट पद दूक श्रीराम से लेकर पुनमुख के पर तक रक्षियाली	OWN/2022-23/7/66 - 18.01.2023	Arhant Trading Company	ATC/11/25 - 22.11.2022	TMT Bar 8	462.8	52	45733	45733
2	15TH FC	चौक कर्म सामग्रिक भवन फायात पर रक्षियाली	XYFC/2022-23/7/140 - 11/01/2023	Arhant Trading Company	202 - 05.10.2022	Bhajan	800	12	10800	10800
		नि. सोरख व गरी सोरख स्कूल से मैन रोड तक रक्षियाली	XYFC/2022-23/7/141 - 13/01/2023	Hitesh Thakur Govt. Cont.	208 - 15.12.2022	Sant	590	30	62790	57690
		नि. गरी नवदीक बिज मोटर कुकुल	XYFC/2022-23/7/142 - 13/01/2023	Hitesh Thakur Govt. Cont.	208 - 15.12.2022	Bhajan	1120	30	62790	
		नि. गरी नवदीक बिज मोटर कुकुल	XYFC/2022-23/7/150 - 20/01/2023	Thakur Tiles Ind.	202 - 05.10.2022	Group Sheet	340	25		
3	15TH FC	नि. सोरख व गरी सोरख स्कूल से मैन रोड तक रक्षियाली	XYFC/2022-23/7/150 - 20/01/2023	Thakur Tiles Ind.	202 - 05.10.2022	HR SHEET	680	76.27	85490	85490
		नि. गरी नवदीक बिज मोटर कुकुल	XYFC/2022-23/7/150 - 20/01/2023	Thakur Tiles Ind.	202 - 05.10.2022	Angul 32*32*3	27	65		
		नि. गरी नवदीक बिज मोटर कुकुल	XYFC/2022-23/7/150 - 20/01/2023	Thakur Tiles Ind.	202 - 05.10.2022	Group Sheet	25	93.22		
		नि. गरी नवदीक बिज मोटर कुकुल	XYFC/2022-23/7/150 - 20/01/2023	Thakur Tiles Ind.	202 - 05.10.2022	MS Bar	250	65		
4	OWN	नि. सामग्रिक भवन फायात पर रक्षियाली	OWN/2023-24/7/1-02.07.2023	AGGRNAL SANITATION	45-07.01.2023	Bhajan	4000	12	50400	50400
		नि. सामग्रिक भवन फायात पर रक्षियाली	OWN/2023-24/7/1-02.07.2023	AGGRNAL SANITATION	45-07.01.2023	MS Bar	700	30	22050	22050
		नि. सामग्रिक भवन फायात पर रक्षियाली	OWN/2023-24/7/1-02.07.2023	AGGRNAL SANITATION	45-07.01.2023	Group Sheet	1000	14	16520	15700
		नि. सामग्रिक भवन फायात पर रक्षियाली	OWN/2023-24/7/1-02.07.2023	AGGRNAL SANITATION	45-07.01.2023	WALL Tile	1000	14	16520	16000
5	OWN	नि. सामग्रिक भवन फायात पर रक्षियाली	OWN/2023-24/7/1-02.07.2023	AGGRNAL SANITATION	45-07.01.2023	Flour Tile	62 box	200	18354	18354
		नि. सामग्रिक भवन फायात पर रक्षियाली	OWN/2023-24/7/1-02.07.2023	AGGRNAL SANITATION	45-07.01.2023	WALL Tile	10 Box	210		
		नि. सामग्रिक भवन फायात पर रक्षियाली	OWN/2023-24/7/1-02.07.2023	AGGRNAL SANITATION	45-07.01.2023	Flour Tile	10 kg	23.44		
		नि. सामग्रिक भवन फायात पर रक्षियाली	OWN/2023-24/7/1-02.07.2023	AGGRNAL SANITATION	45-07.01.2023	WALL Tile	10 kg	23.44		
6	OWN	नि. सामग्रिक भवन फायात पर रक्षियाली	OWN/2023-24/7/1-02.07.2023	AGGRNAL SANITATION	45-07.01.2023	WALL Tile	10 kg	23.44		
		नि. सामग्रिक भवन फायात पर रक्षियाली	OWN/2023-24/7/1-02.07.2023	AGGRNAL SANITATION	45-07.01.2023	WALL Tile	10 kg	23.44		
		नि. सामग्रिक भवन फायात पर रक्षियाली	OWN/2023-24/7/1-02.07.2023	AGGRNAL SANITATION	45-07.01.2023	WALL Tile	10 kg	23.44		
		नि. सामग्रिक भवन फायात पर रक्षियाली	OWN/2023-24/7/1-02.07.2023	AGGRNAL SANITATION	45-07.01.2023	WALL Tile	10 kg	23.44		
7	OWN	नि. सामग्रिक भवन फायात पर रक्षियाली	OWN/2023-24/7/1-02.07.2023	AGGRNAL SANITATION	45-07.01.2023	WALL Tile	10 kg	23.44		
		नि. सामग्रिक भवन फायात पर रक्षियाली	OWN/2023-24/7/1-02.07.2023	AGGRNAL SANITATION	45-07.01.2023	WALL Tile	10 kg	23.44		
		नि. सामग्रिक भवन फायात पर रक्षियाली	OWN/2023-24/7/1-02.07.2023	AGGRNAL SANITATION	45-07.01.2023	WALL Tile	10 kg	23.44		
		नि. सामग्रिक भवन फायात पर रक्षियाली	OWN/2023-24/7/1-02.07.2023	AGGRNAL SANITATION	45-07.01.2023	WALL Tile	10 kg	23.44		
8	OWN	नि. सामग्रिक भवन फायात पर रक्षियाली	OWN/2023-24/7/1-02.07.2023	AGGRNAL SANITATION	45-07.01.2023	WALL Tile	10 kg	23.44		
		नि. सामग्रिक भवन फायात पर रक्षियाली	OWN/2023-24/7/1-02.07.2023	AGGRNAL SANITATION	45-07.01.2023	WALL Tile	10 kg	23.44		
		नि. सामग्रिक भवन फायात पर रक्षियाली	OWN/2023-24/7/1-02.07.2023	AGGRNAL SANITATION	45-07.01.2023	WALL Tile	10 kg	23.44		
		नि. सामग्रिक भवन फायात पर रक्षियाली	OWN/2023-24/7/1-02.07.2023	AGGRNAL SANITATION	45-07.01.2023	WALL Tile	10 kg	23.44		

सचिव, ग्राम पंचायत, रक्षियाली

वि.सं. नालागढ़, सोलन हिमालय

58

9	OWN	नि. समुदायिक शौचालय पंचायत घर रङ्गीपाली	OWN/2023-24/P/06-02.07.2023	MEHAR DAI ALUMINIUM WORK	04-06-05-2023	Aluminium Door	1	3500	9676	9676	9676
10	OWN	कार्यालय घर	OWN/2023-24/P/06-02.07.2023	GHAIR ARTS	442-05.04.2023	SAWCHATA BOARD	17	1440	14480	14480	14480
11	OWN	कार्यालय घर	OWN/2023-24/P/14-12.07.2023	GHAIR ARTS	445-21.04.2023	SAWCHATA BOARD	1	13000	6520	6520	6520
12	OWN	नि. समुदायिक केन्द्र परीक्षार सस्तीत	OWN/2023-24/P/14-12.07.2023	SAINI INFO SOLUTIONS	330-06.06.2023	LED MONITOR	1	8347.46	9650	9650	9650
				GURDUTT WELDING CONTRACTOR	55-04.04.2023	Door widow labour with fitting	438.9	25	12946	12946	12946
						Cable wire 2.5m	50	25			
						4 Module box	2	50			
						MCB 63 Amp 4 Pole	1	1350			
						MCB 16 Amp 1 Pole	12	150			
						3 Module Plate	6	70			
						PVC batten	6	80			
						Cable tie 400MM	1	220			
						4 Module Plate	6	80			
						PVC Tape	9	30			
						Electricals Socket 16 AMP.	15	160			
						Batten Gitti	2	30			
						Screw 35*8	15	50			
						Black Screw 1.5*	50	1.5			
						Led Consid Light	15	100			
						Screw 1.5*	50	1			
						Screw 2*	20	2			
						Screw 2.5*	17	2			
						Electricals Switch	80	25			
						Electricals Socket	20	80			
						Fan Regulator	15	200			
						Fan Sheet	9	15			
						Holder	15	35			
						8 Module Plate	9	180			
						12 Module Plate	2	220			
						6 Module Plate	4	140			
						2 Module Plate	4	60			
						MCB 32Amp 1 pole	5	140			
						MCB 32Amp 2 pole	3	480			
						MCB 63Amp 4 pole	1	1350			
						Round Sheet	50	5			
						Seal Wires	1	80			
						Electrical Switch	7	90			
						Fan Regulator	8	200			
						Dummy	20	20			
						Ceiling Fan	9	1400			
						Cable wire .75m	4	3400			
						Cable wire 1mm	7	7700			
						Cable wire 1.5m	6	9300			
						Cable wire 2.5m	5	12000			
						Screw 3/16*1.5	80	120			
						Screw 3/16*2	80	160			
						SAWCHATA BOARD	1	13000	3780	3780	3780
13	OWN	बिजली फीटिंग पंचायत घर 15th	OWN/2023-24/P/14-12.07.2023	RAIDHANI ELECTRICS HARDWARE STORE	46621-03.06.2023				47640	47640	47640
14	OWN	बिजली फीटिंग पंचायत घर 15th	OWN/2023-24/P/14-12.07.2023	RAIDHANI ELECTRICS HARDWARE STORE	46625-03.06.2023				38562	38562	38562
15	OWN	सावधानी बोर्ड	OWN/2023-24/P/15-12.07.2023	GHAIR ARTS	445-21.04.2023				3780	3780	3780


 राधानी
 राजेश कुमार
 राधानी

53
 - 53

16	OWN	CSC केन्द्र रडडीगली DPO	OWN/2023-24/P/17-12.07.2023	GURU NANAK TIMBER	559-02.06.2023	Windows includes full mirror wood handle hook Door includes all accessories	11	400	43424	43424
				GURDUTT WELDING CONTRACTOR	56-05.05.2023	fixed mirror with moulding & labour	36	150	49914	49914
				Newkar Trading	411-04.04.2023	SHED CHOCKET DOOR WITH FITTING	1	8000	9440	9440
				MEHAR DAL ALUMINIUM WOK	05-07.06.2023	Trt Bar 12 MM	352	59	109660	109660
				BAIWANT PAINTERS	39-22.06.2023	Trt Bar 10 MM	902.3	61		
				GHA/ARTS	445-21.04.2023	Trt Bar 8 MM	276.2	62		
17	OWN	श्री रोपन पंचायत पर रडडीगली	OWN/2023-24/P/19-12.07.2023			ALLUMINIUM DOOR WITH FRAME	2	4800	11328	11328
18	OWN	संस्कृती बोर्ड				WIRING and Painting Name Board	60	170	10200	11200
						SAWCHATA BOARD	1	2700	2700	2700
						Plant Patis	4	10		
						Regman PC	12	5		
						Red oxide	1	180		
						Paint Red oxide 500	1	100		
						Black Pint	1	350		
						Paint black 500	1	200		
						Tarpin Oil Bottle	1	350		
						Paint Brush 5"	3	150		
						Paint roller 3"	3	70		
						Rehmar cloth mtr	2	150		
						Distamber 20 KG	1.5	20		
						Fast Yellow Stainer	2	950		
						Fast Blue	2	180		
						Wall Putty Bag	4	200		
						Paint Part B	10	650		
						Paint Part 4	15	20		
						Water Paper	60	10		
						Regman Cloth	2	35		
						Paint Red oxide 500	1	100		
						Paint black 500	1	150		
						Wall Putty Bag	17	650		
						Water Paper	30	5		
						paint brown	2	1250		
						Tarpin Oil Bottle	2	350		
						pop	2	20		
						Distamber 20 KG	6	950		
						ACE plastic Paint	2	3600		
						Aluminium Paint	2	450		
						Red Oxide	3	180		
						Red Stainer	8	100		
						yellow stainer	4	180		
						Regman cloth mtr	1	40		
						Tractor pin	4	10		
						wheel coupling	1	90		
						fan rod	12	50		
						LED Bulb 30wat	9	400		
						PVC Tape	2	25		

-582 54

परिशिष्ट " ड " पैरा संख्या " 8.9 व 8.10 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत रडियाली द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 07/2023 के दौरान बिना मूल बिलों के ₹ 1.02 लाख की सामग्री के भुगतान की सूची
जिसका छ. महीने के उपरान्त भी समायोजन नहीं किया गया है व राशि ₹ 1.02 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत की सूची

क्र० सं०	काम का नाम	ऑनलाइन वा० सं० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	चालान सं० / दिनांक	मद का नाम मात्रा	संख्या	दर	कुल राशी	व्यय राशी
1	नि. सामुदायिक केन्द्र परीतनगर घनसोत	OWN/2023-24/P/14-12.07.2023	HP STATE CIVEL SUPPLIES	48300-08.06.2023	CEMENT	50 बैग	340	17041	17041
2	CSC केन्द्र रडियाली DPO	OWN/2023-24/P/17-12.07.2023	HP STATE CIVEL SUPPLIES	66901-08.06.2023	CEMENT	50 बैग	340	85072	85072
कुल राशी									102113


साधव
ग्राम पंचायत
डि.छ. तालाक, सोलन डि.
Rakshi Kumar

55

परिशिष्ट " ८ " पैरा संख्या " १.१ " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत रडियाली द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये सामग्री का भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने के परिणामस्वरूप राशि ₹0.59 लाख के अनियमित भुगतान

का पाया जाना

Sl. No.	Work Name (Work Code)	Work Category	Vendor Name	Bill No.	Bill Date (DD/MM/YYYY)	Date of payment (DD/MM/YYYY)	Bill Amount
1	C/o-Danga Sucha ram s/o Shanti ram. (1311004168/IF/32276715)	IF	HP State Civil Supply Corporation, Nalagarh HITESH THAKUR GOVT. CONTT.	139917 178	23/05/2022 20/04/2022	1/9/2022 14/11/2022	10518.73 4201.26
2	C/o-Danga Sabhapati s/o Shanti ram. (1311004168/IF/32276722)	IF	HP State Civil Supply Corporation, Nalagarh HITESH THAKUR GOVT. CONTT.	139919 179	23/05/2022 20/04/2022	1/9/2022 14/11/2022	10518.73 4201.26
3	C/o-Danga Pyari devi ke ghar ke paas chuhuwai. (1311004168/IF/32276735)	IF	HP State Civil Supply Corporation, Nalagarh HITESH THAKUR GOVT. CONTT.	139918 180	23/05/2022 22/04/2022	1/9/2022 14/11/2022	10518.73 4201.26
4	C/o-Danga Ashok ke ghar ke paas vill-Chuhuwai. (1311004168/IF/32276748)	IF	HP State Civil Supply Corporation, Nalagarh HITESH THAKUR GOVT. CONTT.	139916 181	23/05/2022 22/04/2022	1/9/2022 14/11/2022	10518.73 4201.26
TOTAL							58879.96



सचिव
ग्राम पंचायत
वि.ख. नालागढ़, सोनभद्र जिला

23/05/22

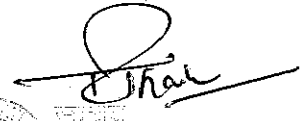
6,RS

Anita Kumari

परिशिष्ट "ण", पैरा संख्या "10.1" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत रडियाली द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विवाह शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की सूचि

क्र०सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली योग्य शेष राशि	रसीद संख्या	रसीद दिनांक
1	मनीष	21.05.2022	30.05.2022	200.00	0.00	200.00	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
2	रवि	10.02.2022	30.05.2022	400.00	0.00	400.00	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
3	रॉकी	26.08.2022	16.11.2022	400.00	0.00	400.00	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
4	रोहित राठी	12.10.2022	29.12.2022	400.00	0.00	400.00	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
5	कर्म पाल	06.11.2022	08.02.2023	400.00	0.00	400.00	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
6	प्रदीप कुमार	09.03.2023	17.04.2023	400.00	200.00	200.00	641	24.04.2023
7	अंकुश चौधरी	27.06.2023	03.07.2023	200.00	0.00	200.00	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
8	सतनाम सिंह	13.05.2023	14.07.2023	400.00	0.00	400.00	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
9	विजय कुमार	27.06.2023	26.08.2023	400.00	0.00	400.00	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
10	जितेंद्र कुमार	08.06.2023	08.08.2023	400.00	0.00	400.00	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
11	सलीम मोहम्मद	15.11.2023	13.12.2023	200.00	0.00	200.00	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
12	रवि कुमार	29.11.2023	13.12.2023	200.00	0.00	200.00	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
13	राजन	08.12.2023	23.12.2023	200.00	0.00	200.00	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
14	निशांत	22.11.2023	22.12.2023	400.00	200.00	200.00	133975	08.03.2024
15	हरविंदर सिंह	29.11.2023	23.12.2023	200.00	0.00	200.00	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
16	पंकज कुमार	29.11.2023	23.12.2023	200.00	0.00	200.00	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
कुल राशि				5000.00	400.00	4600.00		



 ग्राम पंचायत RADDYALI
 दि.स. बालगढ़, सोलन हि.प्र.
Rakesh Kumar

57

-61-

